भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3167
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के लिए निधि की स्वीकृति

†3167. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किए जाने के उपरांत व्यय वित्त समिति (ईएफसी) से कितनी निधि के लिए स्वीकृति मांगी गई थी और कुल परिव्यय कितना है तथा उसमें केंद्र सरकार का भाग कितना है;
(ख) सरकार द्वारा जेजेएम के लिए वास्तव में अंततः कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कुल परिव्यय कितना है तथा उसमें केंद्र सरकार का भाग कितना है;
(ग) क्या सरकार ने जेजेएम के विस्तार के लिए अतिरिक्त निधि हेतु ईएफसी से पुनः संपर्क किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईएफसी द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) ईएफसी से कितनी निधि के लिए स्वीकृति मांगी गई है और अतिरिक्त परिव्यय कितना है, केंद्र सरकार का अतिरिक्त भाग कितना है, संचयी कुल परिव्यय कितना है और उसमें केंद्र सरकार का संचयी भाग कितना है; और
(ङ) क्या जेजेएम का औपचारिक रूप से विस्तार हो चुका है या इसके विस्तार के लिए अभी भी कोई औपचारिकताएं लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

गांवों में रहने वाले लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जल जीवन मिशन की परिकल्पना 2019 में राज्यों के परामर्श से की गई थी ताकि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का पुनर्गठन करके और उसे शामिल करके देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल कनेक्शन का प्रावधान किया जा सके। चूंकि इस कार्यक्रम को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था, इसलिए ईएफसी स्तर पर वित्तपोषित की जाने वाली योजनाओं की सही संख्या और संबंधित लागत को जानना मुश्किल था।

सभी नमूना राज्यों में किए गए लागत विश्लेषण के आधार पर, कुल लागत लगभग 7.88 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि राज्यों को प्रोत्साहित करके, केंद्र और राज्य के कुल वित्तपोषण एंवेलप का अनुमान 3.6 लाख करोड़ रुपये था। तदनुसार, व्यय वित्त समिति ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ जेजेएम के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को "*कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी)"* प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती एनआरडीडब्ल्यूपी के पुनर्गठन और उसे शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। ईएफसी की सिफारिश के अनुरूप, भारत सरकार ने 3.60 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये था।

(ग) से (ङ): मिशन के अंतर्गत अनुमोदित लगभग पूरे केन्द्रीय हिस्से का उपयोग कर लिया गया है। अब तक हुई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, जल जीवन मिशन को बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ जारी रखने का एक प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है।

*****